



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 19.12.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ ऑपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप 03 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 06 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में फलस्वरूप 03 मामलों में कुल 04 अभियुक्तों को 06 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग- 07/95 धारा 452/323/504/506 भादवि के अभियुक्त राकेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी नादादेव थाना जसपुरा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 2000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग(एनसीआर)- 41/03 धारा 323/504/506 भादवि के 02 अभियुक्तों 1-देशराज पुत्र बनवारी पाल व 2-राम विजय पुत्र बनवारी पाल निवासी रैपुरा गड़रिया थाना जसपुरा जनपद बांदा को जुर्म स्वीकार करने पर कुल 3000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना जसपुरा पर पंजीकृत अभियोग(एनसीआर)- 75/11 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्त लाल सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी बरेहटा थाना जसपुरा जनपद बांदा को 1000/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।